



2026:AHC:20856

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 1289 सन् 2026

नरेंद्र कुमार

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता : राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ऋषभ शुक्ला

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और राज्य- उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 26.04.1987 को मेट के पद पर हुई थी और उन्हें 13.03.2006 को नियमित किया गया था, यद्यपि, याचिकाकर्ता की 30.06.2024 को सेवानिवृत्ति के बाद, नियमितकरण से पहले की गई सेवाओं को पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान के लिए ध्यान में नहीं रखा जा रहा है।
3. इस याचिका में उत्तरदाताओं को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया तीसरे उत्तरदाता, कार्यकारी अभियंता (पी.डी.) पी.डब्ल्यू.डी., इटावा द्वारा अधिनिर्णयन किया जाना चाहिए।
5. इस निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विपक्षी पक्षकारों के तर्कों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए, तीसरे प्रतिवादी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार तीन महीने के भीतर करना होगा। यदि तीसरे उत्तरदाता की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. यह कहना अनावश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय उत्तरदाताओं से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"